

Name Authorized Signatory :

Full Address of GTA:

(Dated Acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

Note: The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year”.

2. This notification shall come into force with effect from the 27th July, 2023.

Note : The principal notification number 11/2017 -Union Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 702 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification number 05/2023-Union Tax (Rate), dated the 9th May, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 350(E), dated the 9th May, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सं. 07/2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 540(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि 691 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम सं. 19ग के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)
“सेटेलाइट प्रक्षेपण सेवाएं।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी 190354/133/2023 टीओ (टीआरयू-II) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017 -केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2023- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 फरवरी, 2023, सा.का.नि 141 (अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

No. 07/2023- Central Tax (Rate)

G.S.R. 540(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 19C, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted: -

(3)
“Satellite launch services.”

2. This notification shall come into force with effect from 27th July, 2023.

[F. No. -CBIC-190354/133/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification no. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification no. 01/2023 - Central Tax (Rate), dated the 28th February, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 141(E), dated the 28th February, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सं. 07/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 541(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-

(क) क्रम संख्या 20ग के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)
“सेटेलाइट प्रक्षेपण सेवाएं।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/133/2023-टीओ (टीआरयू-II) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 फरवरी, 2023, सा.का.नि. 143 (अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।